न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर०ए०एस०)

वाद संख्या :– 01 / 237 / 2024 ऑनलाईन नम्बर:– 2024 / 614 प्रवेश तिथि– 20.11.2024

1. अशोक सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपुत आयु करीब 53 साल।
2. नेमी सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपुत आयु करीब 42 साल।
3. राजेश सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपुत आयु करीब 45 साल।
4. सुरेन्द सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपुत आयु करीब 36 साल निवासीयान होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर।

....................वादीगण

बनाम

1. मुन्नी बाई पत्नी जगदीश सिंह आयु करीब 65 साल।
2. हेमराज सिंह पुत्र श्री करण सिंह आयु करीब 35 साल समस्त निवासीयान होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ
4. सब रजिस्ट्रार साहब राजगढ जिला अलवर।

.................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188

उपस्थित:– श्री सुरेन्द्र शर्मा एड0–वादी
श्री सुरेश शर्मा एड0–प्रतिवादी

–:निर्णय:– दिनांक 13 / 01 / 2026

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 17 खसरा संख्या 244 / 1.51, 245 / 0.44, 246 / 0.81, 247 / 0.66, 248 / 0.11 कुल किता 5 कुल रकबा 3.53 है0 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी की शामलाती की आराजी है। ओर इनके मध्य अब काश्त करने में सुविधाजनक नही रहा है और आपस में काश्त को लेकर मुताबिक हिस्से को लेकर तनाजा रहता है तथा प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी को बिना तकसीम करवाये बेचान करने को आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है और यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए वादीगण मुतनाजा आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर खाता पृथक–पृथक किया जावे। अन्त में दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। वकुलाय की ओर से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने पर सहमति दी गई। हरब सहमति वकुलाय पर प्रारम्भिक डिक्री की जाकर तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार राजगढ के पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1917 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। बहस वकुलाय की सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकुलाय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट सहमति जाहिर की।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

अनुपान:- अशोक बनाम मुन्नी
मुकदमा संख्या 01 / 237 / 2024

4. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2070–2075 खाता संख्या 17 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट से भी वकुलाय सन्तुष्ट है। वकुलाय ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया। दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलन–प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षति–प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करनें एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई-निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या 17 खसरा संख्या 244 / 1.51, 245 / 0.44, 246 / 0.81, 247 / 0.66, 248 / 0.11 कुल किता 5 कुल रकबा 3.53 है0 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ़ के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	अशोक सिंह, नेमी सिंह, राजेश सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान बाबू सिंह समान भाग जाति राजपुत सा0 देह खातेदार	244 / ए 246 / ए	0.75 0.56
		कुल किता 2	1.31
2	हेमराज सिंह, पुत्र कर्ण सिंह जाति राजपुरा सा0 देह खातेदार राहिन पुर्ण खाता बीआरकेजीबी ढिगावडा	245 / ए 244 / बी 246 / बी 247 / ए	0.18 0.42 0.25 0.2050
		कुल किता 4	1.055
3	मुन्नी बाई पत्नी स्व0 जगदीश सिंह जाति राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन बीआरकेजीबी ढिगावडा	244 / सी 245 / बी 247 / बी	0.34 0.26 0.4550
		कुल किता 3	1.055
4	समस्त सहखातेदार की शामलाती	248	0.11 गै.मु. रास्ता

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 08.10.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13 / 01 / 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आरएएस)

वाद संख्या :— 01 / 237 / 2024 ऑनलाईन नम्बरः— 2024 / 614 प्रवेश तिथि— 20.11.2024

1. अशोक सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपुत आयु करीब 53 साल।
2. नेमी सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपुत आयु करीब 42 साल।
3. राजेश सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपुत आयु करीब 45 साल।
4. सुरेन्द सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपुत आयु करीब 36 साल निवासीयान होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर।

......................बादीगण

बनाम

1. मुन्नी बाई पत्नी जगदीश सिंह आयु करीब 65 साल।
2. हेमराज सिंह पुत्र श्री करण सिंह आयु करीब 35 साल समस्त निवासीयान होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।
4. सब रजिस्ट्रार साहब राजगढ जिला अलवर।

..................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0अ0 1955
उपस्थितः— श्री सुरेन्द्र शर्मा एड0—वादी
श्री सुरेश शर्मा एड0—प्रतिवादी

पर्चा डिक्री

दिनांक 13 / 01 / 2026

दावा बादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या 17 खसरा संख्या 244 / 1.51, 245 / 0.44, 246 / 0.81, 247 / 0.66, 248 / 0.11 कुल किता 5 कुल रकबा 3.53 है0 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्जात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र. स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	अशोक सिंह, नेमी सिंह, राजेश सिंह, सुरेन्द्र सिंह पि0 बाबू सिंह समान भाग जाति राजपुत सा0 देह खातेदार	244 / ए 246 / ए	0.75 0.56
		कुल किता 2	1.31
2	हेमराज सिंह, पुत्र कर्ण सिंह जाति राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन पुर्ण खाता बीआरकेजीबी ढिगावडा	245 / ए 244 / बी 246 / बी 247 / ए	0.18 0.42 0.25 0.2050
		कुल किता 4	1.055
3	मुन्नी बाई पत्नी स्व0 जगदीश सिंह जाति राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन बीआरकेजीबी ढिगावडा	244 / सी 245 / बी 247 / बी	0.34 0.26 0.4550
		कुल किता 3	1.055

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ

4	समस्त सहखातेदार की शामलाती	248	0.11 गै.मु. रास्ता

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 08.10.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ तहसीलदार राजगढ़ को आदेश दिये जाते है। कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13 / 01 / 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर
सत्यमेव जयते
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला - अलवर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

अशोक सिंह बनाम मुन्नी बाई

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 252 / 2024

20.11.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 244 / 1.5100, 245 / 0.4400, 246 / 0.8100, 247 / 0.6600, 248 / 0.11 कुल किता 5 कुल रकबा 3.5300 है0 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान की जामाबंदी सम्वत 2070 से 2075 के अनुसार नया खाता संख्या 17 व पुराना खाता संख्या 15 में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण के साथ किसी भी प्रकार की रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे। ना आराजी के विशिष्ट भाग को रहन बेच हिबा द्वारा मुंतकिल न करे। न मुंतकिली का दस्तावेज पेश होने तक अप्रार्थी प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 दस्तावेज पंजीबद्ध ना करेगा न कोई निर्माण कार्य करें । न वादीगण प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फिसाद करे। अन्त में उक्त विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के जमाबंदी सम्वत 2070–2075 के अनुसार अपने अपने हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण मुतादिज काबिज रहकर बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विवादित आराजीयात के बिना तकसीम कराए ही दीगर लोगो को बेचान करना चाहते है। और पक्के निर्माण करना चाहते है। जबकि वादीगण उक्त विवादित आराजीयात को तकसीम करवाकर अपना खाता अलग अलग करवाना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बावत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर मनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 244 / 1.5100, 245 / 0.4400, 246 / 0.8100, 247 / 0.6600, 248 / 0.11 कुल किता 5 कुल रकबा 3.5300 है0 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान की जामाबंदी सम्वत 2070 से 2075 के अनुसार नया खाता संख्या 17 व पुराना खाता संख्या 15 में आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान, विवादित भूमि के किसी विशिष्ट भू भाग का रहन /बेचान आदि ना करे। यथा स्थिति के आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। लेकिन किसी भी न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की पालना पर प्रभावी नही रहेगा। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 20.12.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खातान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/11/25 पत्रावली पेश। वकु उप. वाने जवाब हेतु दि 12/12/25 को पेश हो। SDO	
~~पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश [illegible]। पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।~~ रीडर	
12/12/25 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 7/1/26 को पेश हो S.D.O.	
7/1/26 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है दिनांक 13/1/26 को पेश हो S.D.O.	
13/01/26 पत्रावली पेश। वकु. उप./ मुलवाद दावा डिक्री हो जाने के कारण प्रा. पत्र 212 की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। द्वारा न्यायालय की [illegible] आदेश दि. 20/11/25 को भी खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद प्रति मुलवाद सं. 01/237/24 के साथ सलग्न हो। SDO	